पत्रांक–10RA.SANGRAHAN-17-2021(167648)...573...../

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अजय यादव,
सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक,
बिहार।

पटना, दिनांक– 21.01.26

विषयः– निर्धारित राजस्व लक्ष्य को शत्–प्रतिशत प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतिम त्रैमास में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्व संग्रहण में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। विदित हो कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य रू0 9130.00 करोड़ के विरूद्ध दिनांक–19.01.2026 तक प्राप्ति रू0 5662.21 करोड़ है, जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 62.02 प्रतिशत है।

राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैः–

1. स्थल निरीक्षण का मूल उद्देश्य पक्षकारों द्वारा राजस्व क्षति को रोकना एवं विभाग द्वारा राजस्व का संवर्द्धन करना है। विदित हो कि स्थल निरीक्षण के क्रम में ऐसा देखा जाता है कि पक्षकारों द्वारा वास्तविक रूप से अन्तरित की जा रही भूमि एवं उसपर निर्मित संरचना की श्रेणी एवं क्षेत्रफल की सही जानकारी नही दी जाती है। इससे सरकार को वास्तविक राजस्व की प्राप्ति नही होती है। राजस्व की क्षति को रोकने हेतु निबंधन पूर्व दस्तावेजों का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय।
2. गुणवत्तापूर्ण स्थल निरीक्षण के साथ–साथ GIS तकनीक का उपयोग किया जाय।
3. स्थल निरीक्षण हेतु अंतरित किये जाने वाली नगर निकाय में अवस्थित भूमि एवं उस पर अवस्थित संरचना के लिये स्थल निरीक्षण सामान्यतः निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
4. निबंधन पदाधिकारी द्वारा अन्य क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण हेतु कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक को भी प्राधिकृत किया जायेगा। यदि किसी निबंधन कार्यालय में अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तो इस कार्य में कम्प्यूटर ऑपरेटर की सहायता ली जा सकती है।
5. कर्मियों द्वारा किये गये कुल स्थल निरीक्षण का 10 प्रतिशत Cross verification निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्वंय किया जायेगा।
6. पदाधिकारी/कर्मियों द्वारा किये गये प्रत्येक स्थल निरीक्षण की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में की जायेगी।
7. आई–फी वाले दस्तावेजों का स्थल निरीक्षण निबंधन उपस्थापन के पूर्व किया जायेगा। इस कारण निबंधन हेतु इन सभी आवेदनों का स्थल निरीक्षण आवेदन की तिथि से 03 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा। तदोपरान्त नियमानुसार निबंधन किया जायेगा।
8. कैम्प लगाकर निबंधन की सुविधा की जानकारी देने हेतु प्रचार प्रसार किया जाय। इसके लिए कार्यालय से चलन्त निबंधन इकाई का गठन किया जाय।
9. लंबित खनन लीज नवीकरण/नयी लीज दस्तावेज का निष्पादन इस माह में सुनिश्चित किया जाय।
10. फ्लैटों का निबंधन कराये जाने हेतु बिल्डर्स एसोसिएशन एवं रेरा से संपर्क स्थापित किया जाय।
11. नीलामवाद के कुल 3213 मामलों का निष्पादन लंबित है, जिसमें कुल राशि रू0 69.43 करोड़ राजस्व वसूली निहित है। लंबित नीलामवाद का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

12. सभी निबंधन कार्यालयों में सच्ची प्रतिलिपि एवं Non-Encumberence Certificate (NEC) ऑनलाईन निर्गत किया जायेगा। वैसे दस्तावेज जिसे डिजिटाईजड किया गया है, पर Upload नही किया जा सका है, उन दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि ही ऑफलाईन दिया जायेगा। परंतु इसमें भी ऑनलाईन आवेदन का संदर्भ (Reference) अंकित किया जायेगा।
13. सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक नियमित रूप से अपने अधीनस्थ निबंधन कार्यालय का सप्ताह में कम से कम 03 दिन निरीक्षण करें एवं राजस्व संग्रहण में पीछे चल रहे कार्यालयों का वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में निबंधित दस्तावेजों का गुणवत्तापूर्ण स्थल निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन मंतव्य के साथ उपलब्ध करायें। साथ ही प्रत्येक रविवार को कम से कम 01 कार्यालय का निरीक्षण करेंगे तथा उससे सम्बंधित प्रतिवेदन मंगलवार तक विभाग को प्रेषित करेंगे।
14. 47 ए के कुल 838 मामलों का निष्पादन लंबित है, जिसमें कुल राशि रू0 31.00 करोड़ राजस्व वसूली निहित है। लंबित 47 ए का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।
15. सभी निबंधन पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी से अवकाश अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे।
16. प्रातः कालीन वीसी को तत्काल प्रभाव से मार्च, 2026 तक स्थगित किया जाता है। इस समय का उपयोग स्थल निरीक्षण में किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(अजय यादव)
सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10RA.SANGRAHAN-17-2021(167648)..573...../ पटना, दिनांक–21.01.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10RA.SANGRAHAN-17-2021(167648)...573.../ पटना, दिनांक–21.01.26

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10RA.SANGRAHAN-17-2021(167648)...573.../ पटना, दिनांक–21.01.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10RA.SANGRAHAN-17-2021(167648)...573.../ पटना, दिनांक–21.01.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।